

12-7-17

पत्रावली छात्र राजस्व लोक अदालत
कैम्प वावडी कला के पेश हुई।
उभय पक्षकारण उपरी न्युक्ति मूलवाद
जरिचे रजनीनामा विद्ने विद्या जा पुरा
है। सब इस अवैधमैअरी की कार्यवही
का कोई मौचित्य नहीं रहा। इसलिए
इस अवैधन में आगे की कार्यवही इसी
स्तर पर समाप्त की जाकर न्यायालय
द्वारा जारी स्थान क्रदेश सं. 174/17
दि. 8-6-17 को निरस्त किया जाता है।
पत्रावली फल्लु शुमार डोकटा रिपल
अफतर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहदन